भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3678

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"पशुधन बीमा कवरेज पर जीएसटी का प्रभाव"

3678. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'पशुधन बीमा संबंधी राष्ट्रीय पशुधन मिशन केंद्रीय क्षेत्र योजना' से बाहर पशुधन/मवेशी पॉलिसियों पर प्रीमियम से विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एकत्र किए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पशुधन बीमा प्रीमियम को मानक 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने का क्या आधार है;
(ग) क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि मशीनरी का बीमा कराने वाले व्यवसाय प्रीमियम पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रभावी रूप से कर शून्य हो जाता है, जबकि अपने पशुओं का बीमा कराने वाले पशुधन मालिकों को जो इसी तरह उत्पादक लेकिन लिविंग एसेट हैं, ऐसी कोई राहत नहीं मिलती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार ने राजसहायता वाली योजनाओं से बाहर पशुधन मालिकों के बीच बीमा अपनाने पर इस कर दर के प्रभाव का आकलन किया है तथा राष्ट्रीय पशुधन मिशन की राजसहायता सीमा से अधिक के झुंड के आकार सहित इसे कम करने के लिए जीएसटी परिषद के समक्ष कोई प्रस्ताव लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): प्रत्येक एसएसी (सेवा लेखांकन कोड) के एवज में जीएसटी राजस्व डेटा एकत्र किया जाता है। पशुधन/मवेशी बीमा एसएसी 997139 के अंतर्गत आता है, जिसमें मोटर वाहन बीमा, पशुधन बीमा, गृह बीमा, यात्रा बीमा, आदि जैसी अन्य सभी निर्जीव बीमा सेवाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की मवेशी बीमा संबंधी केंद्र क्षेत्रीय योजना के बाहर, पशुधन/मवेशी पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम पर प्राप्त जीएसटी राजस्व का डेटा अलग से नहीं रखा जाता है।

(ख): वस्तुओं और सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर जीएसटी दरों और उनपर छूटों को जीएसटी परिषद, जो कि केंद्र, राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधियों से बनी एक संवैधानिक संस्था है, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

जीएसटी की शुरुआत यानी 01.07.2017 के बाद से, पशुधन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर, 18% है, जो अधिकांश अन्य सेवाओं पर लगी दर के समान है।

(ग): इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) केवल इनपुट/इनपुट सेवाओं पर स्वीकार्य है, जिसका उपयोग कर योग्य बाहरी आपूर्ति के लिए किया जाता है। जहां बाहरी आपूर्ति गैर-कर योग्य या पूर्णतः कर मुक्त है, जीएसटी कानून के अनुसार इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होती है।

(घ): आईआरडीएआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सब्सिडी वाली योजनाओं के बाहर पशुधन मालिकों में बीमा पर जीएसटी दर के प्रभाव के संबंध में ऐसा कोई भी आकलन नहीं किया गया है।

आगे यह भी कहना है कि वर्तमान में जीएसटी परिषद के समक्ष पशुधन बीमा पर कर की दर कम करने से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
